



2026:AHC:4836

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3652, वर्ष 2025

हरेन्द्र प्रताप यादव
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : चंद्र भूषण सिंह, सौरभ कुमार पांडे
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., दिनेश बहादुर सिंह, रामेश्वर
प्रसाद शुक्ल, शशिकान्त सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवाद संख्या 5 एवं 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री शशि कांत सिंह, तथा प्रतिवादी-ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर प्रसाद शुक्ला को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों—विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 3/तहसीलदार, तहसील-भरथना, आजमगढ़—को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 5 और 6 द्वारा गाटा संख्या 383M पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएँ। राजस्व अभिलेख में यह गाटा संख्या (383M) ग्राम-लहरपार, तहसील-बुधनपुर, जिला-आजमगढ़ में खेल के मैदान, तालाब और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है। यह कार्रवाई इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित उचित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर की जाए।"

II. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वह निजी प्रतिवादी के विरुद्ध राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू करे और यू.पी. राजस्व नियम, 2016 के आदेश के अनुसार, ग्राम-लहरपार, तहसील-बुधनपुर, जिला-आजमगढ़ में गाटा संख्या 383M पर (जो राजस्व अभिलेख में खेल का मैदान, तालाब और कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है) से प्रतिवादी संख्या 5 और 6 को हटाने की कार्यवाही को उचित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"